

## बजट के प्रकार (Kinds of budgets)

सार्वजनिक बजट के अनुसार आकार एवं अर्थव्यवस्था में इसके व्यापक प्रभाव के कारण इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस कारण बजट को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करने का उद्देश्य यही है कि इसकी महत्ता के विभिन्न आयामों को उभारा जा सके तथा उन्हें बेहतर बनाया जा सके।

1. प्रशासनिक बनाम वैधानिक बजट (Administrative vs Legislative Budgets) - सरकार के प्रशासनिक अंग द्वारा तैयार किस तरह बजट को प्रशासनिक बजट के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत वैधानिक बजट स्वयं वैधानिक प्राधिकरण द्वारा अथवा इसकी किसी कमिटी द्वारा तैयार किया जाता है। दोनों स्थितियों में बजट पारित करने का वही कार्य, अधिकार तथा दायित्व वैधानिक प्राधिकरण के ही होते हैं। सामान्य स्थितियों में प्रशासनिक बजट की प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कई कारण हैं:-

वित्तीय प्राप्तियों तथा व्यय मर्दों को अनुमानित करने में प्रशासन की क्षमता वैधानिक प्राधिकरण से अधिक होती है। बजट को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इस कारण बजट भी प्रशासन द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए ताकि असफलता की दृशा में प्रशासन को बजट की तकनीकी तथा कानूनी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके; और भविष्य में इन प्रक्रियाओं को दूर किया जा सके।

2. राजस्व तथा पूँजी बजट (Revenue and Capital Budgets) - वास्तव में ये दोनों बजट के प्रकार न होकर मुख्य मर्द-समूह खाते होते हैं। अतः इन्हें बजट का राजस्व खाता और स-पूँजी खाता कहना अधिक उचित रहता है। लगभग सभी देशों में वित्तीय मर्दों को इन दो खातों में बाँटने की प्रथा मिलती है। इसका

आर्थिक तर्कधार यह है कि सामान्यतः एक आर्थिक इकाई को अपनी चालू व्यय मंडों की वित्त पूर्ति केवल अपनी वर्तमान (अर्थात् नियमित) आय से ही करनी चाहिए। इस वित्त पूर्ति के लिए उसे न तो अपनी परिसंपत्तियों में कमी करनी चाहिए, न अपने देयताओं में बढ़ोतरी; अर्थात् यह वित्त पूर्ति परिसंपत्तियों बेचकर अथवा उधार लेकर नहीं की जानी चाहिए।

3. आयोजना - तथा आयोजना - भिन्न बजट (Plan and Non-plan Budget) - बजट के केवल व्यय पक्ष को इन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध विकास हमारी सरकार का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रत्येक आयोजना (plan) में कई परियोजनाएँ तथा स्कीमों (projects & schemes) आदि शामिल किए जाते हैं, जिनका कार्यान्वयन केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय स्तरों पर व्यवस्थानुसार किया जाता है।

भारत में व्यय मंडों को आयोजना - तथा आयोजना - भिन्न (plan and non-plan) वर्गों में बाँटने का आधार यह है कि प्रत्येक वर्ष (अथवा चँच - वर्षीय कालावधि में) कुछ नई परियोजनाओं तथा स्कीमों का चुनाव किया जाता है जो सामूहिकतौर पर आयोजना मंडें कहलाती हैं। जब तक कोई विचाराधीन परियोजना अथवा स्कीम (नई अथवा पुरानी) पूरी न हो जाय अथवा पूरी तरह लागू न हो जाय, उस पर होने वाला व्यय आयोजना - व्यय के अग्रे माना जाता है। परंतु, विचाराधीन परियोजना अथवा स्कीम के पूरी हो जाने अथवा पूरी तरह लागू हो जाने के पश्चात्, इस पर होने वाला व्यय आयोजना - भिन्न बजट में गिन जाता है।

अपर्युक्त वर्गीकरण से संबद्ध दो तथ्य विशेष रूप से स्मरणीय हैं। आशा यह की जाती है कि समग्र वित्त के साथ - साथ पूरी हो चुकी परियोजनाओं और पूरी तरह लागू हो चुकी स्कीमों पर

रख - रखाव का व्यय बढ़ता जाएगा ; अर्थात् आयोजना - भिन्न बजट का आकार आयोजना बजट की तुलना में बढ़ता जाएगा । परंतु सामान्य लोग बजट के आयोजना - तथा आयोजना - भिन्न भागों में वर्गीकरण के आधार से अनभिज्ञ होते हैं तथा सरकार यह दर्शाना चाहती है कि वह आयोजना परियोजनाओं तथा स्कीमों को प्राथमिकता दे रही है । फलस्वरूप सरकार में चाहे परियोजनाओं तथा स्कीमों के रख - रखाव पर कम ध्यान देने तथा छ नई परियोजनाओं और स्कीमों को अपना लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है ।

4. आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण (Economic and functional

Classification) — परियोजना - बजट का यह वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जाता है । इसके औचित्य का आधार यह है कि लोक बजट का पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है । इस कारण प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि इन बजटीय प्रभावों की अधिकतम संभव जानकारी प्राप्त करे तथा उन्हें यथासंभव हितकारी बनाने के लिए अपनी बजटीय नीति में आवश्यक परिवर्तन लाने की कोशिश करे । परंतु इस उद्देश्य हेतु सरकार को परंपरागत बजटीय लेखाविधि से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती । इसके लिए इसे बजट को अर्थपूर्ण आर्थिक और कार्यात्मक ढंग में वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है ।

बजट की परंपरागत लेखाविधि की संरचना का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि इससे वैधानिक प्राधिकरण सरकार के प्रशासनिक अंग पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें ; सार्वजनिक साधनों का दुरुपयोग को रोक सकें , तथा व्ययों से बचाव हो सकें । इस उद्देश्य हेतु परंपरागत लेखाविधि में लेखा सदों की संख्या बहुत बड़ी संख्या रहती है , उन्हें विधि रूप से मुख्य - शीर्षों तथा उप - शीर्षों (major heads and minor heads) आदि सहाय - समूहों के अतिरिक्त राजस्व और पूंजी खर्चों में बांटा जाता है ; तथा इनसे संबद्ध व्यापक नियम और अधिनियम बनाने जाते हैं । इन्हें

संबद्ध संज्ञासूचियों और विभागों से भी जोड़ा जाता है और और  
 अन्य कई प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।  
 परंतु इन सब बातों के बावजूद लेखा मंडलों के शीर्ष तथा उनके  
 प्रयोजनों (purposes) के बीच अनुरूपता का अभाव उत्पन्न होने  
 की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इस कारण इस लेखा विधि से राजकोषीय  
 नीति तथा करने में पर्याप्त सहायता नहीं मिलती।

